प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छः'

[6/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 586]

प्रपत्र-'अ'

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-586 **माननीय विधायक दिनेश कुमार अहिरवार**

बैठक दिनांक 06.12.2016

क्र-	विधानसभा का नाम	ग्राम ट्रांसफर्मर का स्थान	क्षमता के-व्ही-ए	फेल/ जला	बकाया राशि		
					ट्रांसफर्मर पर कुल उपभोक्ता	बकायादार उपभोक्ताओं की संख्या	राशि (लाख में)
1	जतारा	रतवास अनु-जनजाति बस्ती	उक्त ग्राम में बकाया राशि होने के कारण समस्त उपभोक्ताओं को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है, वर्तमान में ग्राम में विद्युत प्रदाय बंद है, ट्रांसफार्मर निकाल लिये गये हैं। ग्राम में मात्र 01 नं0 आटा चक्की उपभोक्ता द्वारा लगातार बिल जमा किये जाने पर उसके लिये 25 केव्हीए का वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर विद्युत प्रदाय चालू कर दिया गया है ।				
2		परा बस्ती	25	फेल	90	90	11.72
3		अनु-जाति हुरियाना खिरक	25	विद्युत प्रदाय चालू			
4		आदिवासी बस्ती मुहारा	63	फेल	21	21	1.78
5		गोटेट अनुसूचित/जनजाति बस्ती	25	फेल	16	16	1.75
6		अनु-जाति बस्ती भदरई	25	विद्युत प्रदाय चालू			
7		कंजना	100	फेल	57	57	0.78
8		प्रेमपुरा		फेल	10	10	0.22
9		टीला–नरैनी	25	फेल	32	32	4.95
10		कनेरा	25	फेल	22	18	2.12
11		अनुसूचित जनजाति बस्ती मवई	100X1 25X1	फेल	95	95	21.23
12		अनुसूचित जनजाति इटायली	63X1 25X1	फेल	68	68	9.22
13		जेवर कुशवाहा बस्ती	25	फेल	27	27	0.54
14		बाबई	25	फेल	50	50	0.97

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

MD (East Zone) Jabalpur D/R No. 3891 Dt. 11/8/16

CE (Comml) E.Z. M.P.P.K.V.V.Co.Ltd. JBP. Receipt No. 4540 Date 12/8/16

प्रपत्र-ब

1/2

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल,दिनांक

कमांक एफ–5–15/2011/तेरह : राज्य शासन ने एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2016 को जारी टैरिफ आदेश से लागू विद्युत दरों में निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है:–

1. मात्र 30 यूनिट तक की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं (100 वॉट तक संयोजित भार) को 90 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाए।

2. स्थाई संयोजन वाले फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष मात्र रूपये 1400 की दर से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा। शेष अन्तर की राशि का पूर्ण भार राज्य शासन द्वारा टैरिफ सब्सिडी के रूप में वहन किया जाए।

3. एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की जाए एवं इसकी एवज में राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की जाए।

4. मीटर से बिजली प्राप्त कर रहे स्थाई कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में निम्नानुसार सब्सिडी दी जाए:–

DGM (Claims)/ Subsidy 12.08.16.

(क)	प्रथम 300 यूनिट तक	– रू. 2.30 प्रति यूनिट
(ख)	301 से 500 यूनिट तक	– रू. 2.70 प्रति यूनिट
(ग)	501 से 750 यूनिट तक	– रू. 2.55 प्रति यूनिट
(घ)	750 यूनिट से अधिक	– रू. 2.85 प्रति यूनिट

5. अस्थाई संयोजन वाले मीटरयुक्त एवं मीटररहित कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में रूपये 1.75 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाए।

6. फ्लेट रेट स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के अलावा स्थाई तथा अस्थाई दोनों श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में उल्लेखित सब्सिडी के अतिरिक्त एफसीए (ईंधन

सत्य प्रतिलिपि

उप महाप्रबंधक (कार्य–ए डी बी)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

विधानसभा आधार ता० क्र० 586

लागत समायोजन) तथा फिक्स्ड चार्ज में पूर्ण छूट प्रदान करते हुए इसका भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाए तथा इसकी एवज् में सब्सिडी दी जाए। 2/2

7. डी.टी.आर. मीटर से बिजली प्राप्त कर रहे समूह कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में रू.1.60 प्रति यूनिट की सब्सिडी देते हुए ईंधन प्रभार समायोजन (एफसीए) की एवज् में भी सब्सिडी दी जाए।

8. नगरपालिका/नगर पंचायत की निम्नदाब सड़कबत्ती योजनाओं हेतु नियत प्रभार (फिक्स्ड चार्ज) पर रूपये 95 प्रति किलोवाट प्रतिमाह की सब्सिडी दी जाए।

9. उच्चदाब उद्‌वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट तथा ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाए।

10. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह मात्र 25 यूनिट तक के बिजली उपभोग पर ऊर्जा प्रभार में रूपये 2.90 प्रति यूनिट की सब्सिडी प्रदान की जाए।

11. 25 हार्स पावर तक के पावरलूम उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्जेस में छूट तथा ऊर्जा प्रभार में रूपये 1.25 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाए। पावरलूम उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के बजट से दी जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम. धारीवाल) 9/8/16
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग
भोपाल,दिनांक 09 AUG 2016

पृष्ठांकन क्रमांक एफ–5–15/2011/तेरह

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलुर।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
5. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग

सत्य प्रतिलिपि

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप महाप्रबंधक (कार्य-ए डी बी)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
जबलपुर